



बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

भा०

बिहार विधान भंडल (सदस्यों का वेतन, जत्ता और पेशान)
नियमावली, 2006 (अधितन संशोधित) एवं बिहार विधान भंडल
सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली; 2011

का

समेकित संकलन

वर्ष 2015

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या-सं०का०-१ / वि०म०(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)०५-०२/२०११(पार्ट)-..... / पटना, दि०.....

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पैशान) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं०-१६, 2006) की घारा ८ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पैशान) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पैशान), (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और आसम :- (१) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पैशान) (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकती।

(२) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

२. उक्त नियमावली, 2006 का नियम ८(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(ग) नियमावली के अधीन जिस यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या सड़क द्वारा अधिवा अंशतः सड़क और अंशतः रेल द्वारा तय की जा सकती हो उसके लिए यात्रा-भत्ता निकटतम मार्ग के यात्रा-भत्ता तक सीमित रहेगा ताहे वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो।"

३. उक्त नियमावली, 2006 का नियम १(ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(ख) विधान मण्डल की समिति की बैठक में समिलित होने के प्रयोजनर्थ।

राज्य के भीतर स्थल अध्ययन यात्रा के लिए समिति के सदस्यों को, यथास्थिति, बिहार विधान सभा सचिवालय/बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।"

४. उक्त नियमावली, 2006 का नियम १० निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"१०. रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। - प्रत्येक सदस्य को, उनके कागजों के सम्बादन हेतु अधिकतम चार सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेलवे कूपन/प्रतिपूर्ति अधिकारित रेल यात्रा या विमान यात्रा या दोनों प्रकार की यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹ 2,00,000/- (दो लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी।"

५. उक्त नियमावली, 2006 का नियम १६ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"१६. उपस्कर की सुविधा। - प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद विधान मण्डल के सदस्य को स्थान ग्रहण करने के बाद ₹ 1,00,000/- (एक लाख) उपस्कर के लिए, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा भुगतेय होगा। यह सुविधा उन्हें पूरे कार्यकाल में एक बार ही अनुमान्य होगी।"

६. उक्त नियमावली, 2006 का नियम १७(१) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"१७. पूर्व सदस्यों को पैशान एवं अन्य सुविधाएँ। -

(१) ऐसा कोई व्यक्ति, जो बिहार विधान सभा/विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत हुआ हो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने या बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाने की तिथि से या उनका कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, ₹ 25,000/-

(पचीस हजार) रूपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन पाने का हकदार होगा और पूरे कार्यकाल के आधार पर ₹2,000/- (दो हजार) रूपये प्रति वर्ष की दर से पेंशन में बढ़ोत्तरी की जा सकती :
परन्तु छ: माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम अवधि की गणना पूरे वर्ष के रूप में की जायेगी :

परन्तु यह भी कि, तेरहवीं विहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने की तिथि/उक्त विधान सभा का कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व-सदस्यों की भाँति पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधाएं अनुमत्य होंगी।

परन्तु और भी कि, विहार विधान मंडल के वैसे सदस्य, जो दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, अंतिम बार जिस सदन के सदस्य रहे हैं, वहीं से उन्हें दोनों सदस्यता अवधि की गणना कर के पेंशन देय होगा।"

7. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 17(4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"(4) -रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। - विहार विधान मण्डल के पूर्व सदस्य को अधिकतम तीन सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेलवे कूपन/प्रतिपूर्ति आधारित रेल-यात्रा या विमान-यात्रा या दोनों प्रकार की यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹1,00,000/- (एक लाख) तक की राशि अनुमत्य होगी :

परन्तु वैसे पूर्व सदस्य भी, जो कोई सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित है रेल/विमान यात्रा के हकदार होगे :

परन्तु और कि, वे रेल/विमान से की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा-भत्ता/दैनिक-भत्ता प्राप्त नहीं कर सकते तथा उन्हें इस आशय का शपथ-पत्र, यथास्थिति सचिव विधान सभा/सचिव, विधान परिषद् को एवं अपने नियोजन के प्राधिकार को देना होगा।"

विहार राज्यपाल के आदेश से,

४०/-

(दृज राज राय)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-सं०का०-१/वि०म००(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)०५-०२/२०११(पटी)-१७३/पटा० दि००६.०३.२०१७
प्रतिलिपि-महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/सचिव, उत्तर विधान सभा/सचिव,
विहार विधान परिषद्/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा० मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मा०
मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आत सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/श्री
अजय कुमार, प्रभारी आई०टी० मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेब साइट पर अपलोड
करने हेतु/कोषागार पंदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव ६.३.१५

उप सचिव
२२/१/१८

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग
।।। अधिसूचना ।।।

प्रत्यय (दस्तावेज़)
२०३३/१५

प्रत्यय (दस्तावेज़)
२०३३/१५

संख्या—सं०का०—१/वि०म०(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)०५—०६/२०१७— पटना, दि०

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, २००६ (अधिनियम सं०—१६, २००६) (समय—समय पर यथा संशोधित) की धारा ४ के द्वारा प्रदत्त शवितर्यों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, २००६ (समय—समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

५६९९६

२२/१/१८

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, २०१८

१. संक्षिप्त नाम और आरंभ। — (१) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, २०१८ कही जा सकेगी।
(२) यह दिनांक ०१ दिसम्बर, २०१८ से प्रवृत्त होगी।
२. उक्त नियमावली, २००६ के नियम ३(ख) में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम ३(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “३०,०००/- (तीस हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “४०,०००/- (चालीस हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
३. उक्त नियमावली, २००६ के नियम ४ में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम ४ की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “३५,०००/- (पैंतीलास हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “५०,०००/- (पचास हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
४. उक्त नियमावली, २००६ के नियम ५ में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम ५ की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “१०,००,०००/- (दस लाख) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “१५,००,०००/- (पन्द्रह लाख) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
५. उक्त नियमावली, २००६ के नियम ६ में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम ६ की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “६,०००/- (छ: हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “१०,०००/- (दस हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
६. उक्त नियमावली, २००६ के नियम ७ में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम ७ की चौथी छठी एवं बारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “२०,०००/- (वीस हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “३०,०००/- (तीस हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
७. उक्त नियमावली, २००६ के नियम १० में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम १० की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “२,००,०००/- (दो लाख) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “३,००,०००/- (तीन लाख) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
८. उक्त नियमावली, २००६ के नियम ११(२) में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम ११(२) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “२२,२५०=००/- (बाईस हजार दो सौ पचास) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “२८,०००/- (अठाईस हजार) रुपये” तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “६०००=००/- (छ: हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “७,०००/- (सात हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

9. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन। — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25,000/- (पचास हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "35,000/- (पैंतीस हजार) रूपये" तथा पाँचवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2,000/- (दो हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3,000/- (तीन हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) में संशोधन। — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1,00,000/- (एक लाख) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(राजेश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-स०का० ११७०८० (सदस्यों का वेतन एवं भर्ते) ०५-०६/२०१७-७२३/पटना, २६.११.१७
 प्रतिलिपि— महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा० मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मा० मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/सुश्री संजया कुमारी, आई०ट०८० मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१६.११.१८

विशेष कार्य पदाधिकारी।

बिहार विधान सभा सचिवालय पटना

ज्ञापांक-७ल०-२४७/२०१५-७३३६ / विंस०, पटना, दिनांक- ०५ दिसम्बर, २०१८ ई० ।

प्रति— माननीय सदस्यगण / पूर्व माननीय सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

१८/११/१८
 (संजय कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-७ल०-२४७/२०१५-७३३६ / विंस०, पटना, दिनांक- ०५ दिसम्बर, २०१८ ई० ।

प्रति— सभी उप सचिवगण / अवर सचिवगण / प्रशाखा पदाधिकारीगण / सभी कर्मचारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

१८/११/१८
 (संजय कुमार)

अवर सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना ।

१८/११/१८

प्रस्तावना

संसदीय कार्य विभाग के नयाचार संबंधी परिपत्रों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित परिपत्रों का संकलन वर्ष 2010 का मैंने अवलोकन किया है। इसमें माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु सभी आवश्यक विषयों को सम्मिलित किया गया है। बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित नियमावली के गठन के बाद 2006 से अब तक कई संशोधन हो चुके हैं। सभी संशोधनों का अलग-अलग अवलोकन करने से महानुभावों को देय सुविधाओं से अवगत होने में कठिनाई हो सकती है। अतः नवगठित षोडष बिहार विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों को समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इन सभी संशोधनों को समेकित रूप से संकलित कर मुद्रित कराने की आवश्यकता महसूस हुई। इस संकलन में मेरे द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया।

मेरे सुझाव के आलोक में संसदीय कार्य विभाग द्वारा सदस्यों की सुविधाओं से संबंधित अद्यतन संशोधित नियमावलियों का समेकित संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत है। आशा करता हूँ कि इससे सभी संबंधित महानुभावों को समुचित जानकारी उपलब्ध होगी।



(अर्वण कुमार)

मंत्री

संसदीय कार्य विभाग,

बिहार, पटना।

प्रावक्तव्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 195 में प्रदत्त प्रावधान के तहत बिहार विधान मंडल सदस्यों का (वेतन, भत्ता और पैशन) अधिनियम 2006 अधिनियमित किया गया (अधिनियम स0-16, 2006) एवं उक्त अधिनियम की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पैशन) नियमावली, 2006 गठित की गयी (अधिसूचना स0-930 दिनांक 23.09.2006)। इसके अतिरिक्त बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 भी बनायी गयी है (अधिसूचना स0-1518 दिनांक 13.07.2011)।

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पैशन) नियमावली, 2006 के गठन के बाद इसमें कई संशोधन किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं—

- I. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पैशन) (संशोधन) नियमावली, 2006 (अधिसूचना संख्या—1082, दिनांक 16.11.2006)
- II. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पैशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2006 (अधिसूचना संख्या—1375, दिनांक 29.12.2006)
- III. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पैशन) (संशोधन) नियमावली, 2008 (अधिसूचना संख्या—738, दिनांक 05.08.2008)
- IV. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पैशन) (संशोधन) नियमावली, 2010 (अधिसूचना संख्या—1053, दिनांक 02.06.2010)
- V. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पैशन) (संशोधन) नियमावली, 2011 (अधिसूचना संख्या—595, दिनांक 01.04.2011)
- VI. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पैशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 (अधिसूचना संख्या—74, दिनांक 16.01.2013)
- VII. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पैशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 (अधिसूचना संख्या—431, दिनांक 03.04.2013)
- VIII. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पैशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 (अधिसूचना संख्या—1090, दिनांक 21.08.2013)
- IX. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पैशन) (संशोधन) नियमावली, 2014 (अधिसूचना संख्या—625, दिनांक 11.06.2014)
- X. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पैशन) (संशोधन) नियमावली, 2014 (अधिसूचना संख्या—808, दिनांक 07.08.2014)

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा बहुमूल्य सुझाव एवं मार्गदर्शन दिया गया कि विधान मंडल सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पैशन से संबंधित नियमावली में कई संशोधन होने से पोडश बिहार विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को देय सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। तदनुसार उर्प्युक्त सभी संशोधनों को समेकित करते हुए प्रस्तुत संकलन तैयार किया गया है।

५८

(अरुण कुमार सेह)
प्रधान सचिव,
संसदीय कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

**बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)
नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित)**

॥ नि य मा व ली ॥

1. (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।
(2) यह नियमावली पहली अक्टूबर, 2006 से प्रवृत्त होगी।
2. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो :-
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006
 - (ख) "सदन" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद्
 - (ग) "दिन" से अभिप्रेत है कलेंडर वर्ष का मध्य रात्रि से चौबीस घंटे का दिन;
 - (घ) "निवास स्थान" से अभिप्रेत है
 - (इ) बिहार विधान मण्डल के निर्वाचित सदस्यों के वह स्थान जो उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित स्थायी पता अंकित हो, या
 - (ii) गृह विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उनका रथायी निवास स्थान, जिसे सदस्य शपथ ग्रहण के बाद तुरतः सूचित करे।
 - (iii) बिहार विधान मण्डल के मनोनीत सदस्य के लिए वह स्थान जहाँ मतदाता सूची में उनका नाम हो।
3. "टिप्पणी" :- निवास स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन नियमावली के आरंभ की तिथि से एक माह के भीतर सचिव को सूचित किया जाएगा।
- (अ) "सचिव" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के सचिव तथा इसमें विधान सभा या विधान परिषद् के सचिव द्वारा संशक्त किये गये, यथास्थिति, संयुक्त सचिव, उप सचिव या अवर सचिव समिलित हैं।
- (ब) "सदस्य" के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित कार्य" से अभिप्रेत है ऐसा कोई कार्य जो सामान्यतः सदन के कृत्यों से उद्भूत हो और इसमें सदन या इसके पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गठित, मनोनीत या नियुक्त विभिन्न समितियों, आयोगों, बोर्डों या अध्ययन दलों के कार्य अथवा किसी ऐसी समिति या सेमिनार आदि में, सदन के आदेशों और विनियमों द्वारा समिति

के सदस्यों को सौंपे गये अन्य कार्य शामिल हैं, किन्तु इसमें सरकार अथवा स्वाशासी निगमित निकायों द्वारा गठित, निमित्त या नियुक्त समितियों, आयोगों, बोर्डों और अध्ययन दलों में भाग लेना शामिल नहीं है।

- (छ) "माह": से अभिप्रेत है कैलेंडर वर्ष का माह;
- (ज) "प्राधिकृत चिकित्सक" से अभिप्रेत है राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक/विधायक अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) / राज्य में स्थित केन्द्रीय, राजकीय अथवा निर्बंधित चिकित्सा संस्थान/राज्य सम्पादित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी पदाधिकारी;
- (झ) "सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
- (अ) "मरीज" से अभिप्रेत है, सदस्य अथवा उसके परिवार का वह सदस्य जो दीमार हो;
- (ट) "परिवार" से तात्पर्य है सदस्य की पृष्ठीय/पति/आश्रित अवयस्क पुत्र/पुत्री अथवा ऐसे माता/पिता जो पूर्णतः सदस्य पर आश्रित हो;
- (ठ) "उपचार" से अभिप्रेत है राज्य में स्थित केन्द्रीय/राजकीय/निर्बंधित अस्पतालों/नसिंग होमों में अधिवा सरकारी चिकित्सक द्वारा, अनुशसित देश के किसी भी मानवताप्राप्त अस्पताल/नसिंग होम में चिकित्सीय एवं शल्य क्रिया द्वारा उपचार;
- (ड) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अभिप्रेत होंगे जो नियमावली में इसके प्रति समनुदेशित किये गये हों।

3.

सदस्यों का वेतन।-

प्रत्येक सदस्य

- (क) भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में विधिवत अधिसूचित किये जाने की तिथि से;
- (ख) राज्यपाल द्वारा जिस जगह के लिए मनोनयन किया जाना है, उस जगह के लिए उनके द्वारा मनोनयन की तिथि से या यदि मनोनयन पदरिक्त होने के पूर्व किया जाता है, तो पद रिक्त के होने की तिथि से;

30000/- (तीस हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन पाने के हकदार होंगे।

परन्तु जहाँ कोई व्यवित्त, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी निगम, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार के अधीन या किसी व्यक्ति से अपने वेतन का हकदार हो और उस सरकार, निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या व्यवित्त से, वेतन प्राप्त करता हो और

- (i) यदि वह वेतन की राशि इस नियमावली के अधीन प्राप्त होने वाली वेतन की राशि के समतुल्य या उससे अधिक हो तो वह किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।
- (ii) यदि वह वेतन की राशि इस नियम के अधीन प्राप्त होनेवाली राशि से न्यून हो तो वह इस नियमावली के अधीन उसी राशि का हकदार होगा जो कम हो।
- (ग) उत्तरवर्ती नियमों के उपबंधों के अध्यधीन किसी सदस्य के किसी माह का वेतन उत्तरवर्ती माह के प्रथम दिन को देय होगा।

प्रत्यक्ष किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में, उसका वेतन उसी दिन तक देय होगा जिस दिन वह स्थान रिक्त होता हो तथा वेतन की निकासी उसके पश्चात किसी भी दिन की जा सकती।

- (घ) स्थान रिक्त होने सबंधी सूचना की एक प्रति अतिम वेतन विपत्र के साथ सलग्न की जायेगी।

टिप्पणी - वेतन भरो इत्यादि की निकासी, मुगतान एवं लेखा संधारण की प्रक्रियायें पूर्ववत रहेंगी।

4. **✓क्षेत्रीय भर्ता।** - बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसंचित किये जाने की तिथि से प्रतिमाह ₹0 45000/- (पैतालीस हजार), रूपये क्षेत्रीय भर्ता पाने का हकदार होगा।

5. **मोटर गाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा।** - बिहार विधान मण्डल के किसी सदस्य की मांग पर मोटर गाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य के समतुल्य राशि या अधिकतम 10,00,000/- (दस लाख) रूपये जो भी कम हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियम के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

- (i) अग्रिम स्वीकृत करने हेतु विभागों के प्राधिकृत पदाधिकारी, मंजूरी पदाधिकारी होंगे। अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवश्यक आदेश वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे और स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण एवं वसूली, यथास्थिति, विधान सभा/परिषद् सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

- (ii) **मोटर गाड़ी अग्रिम की राशि (चक/बैंक ड्राफ्ट) गाड़ी की कम्पनी/डीलर को सीधे भुगताय होगी।**

- (iii) इस नियमावली के अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, वैसे विधान मण्डल के सदस्य भी मोटर गाड़ी क्रय हेतु पुनः अग्रिम प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो पूर्व में मोटर गाड़ी क्रय हेतु ली गयी अग्रिम की पूर्ण राशि, ब्याज सहित, वापस कर चुके हों, अथवा शेष अग्रिम की राशि सूद सहित यदि एक मुश्त लौटा देते हैं। विधान मण्डल के वैसे सदस्य, जो पुनः अग्रिम की मांग करते हों, उन्हें, यथास्थिति, सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् से प्राप्त इस आशय

का प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा कि पूर्व में ली गयी अग्रिम की राशि सूद सहित वापस कर दी गयी है:

परन्तु सदस्यों को एक कार्यकाल में सिर्फ एक बार कार-अग्रिम दिया जायेगा।

- (iv) यदि मोटरगाड़ी का वास्तविक मूल्य स्वीकृत धनराशि से कम हो तो शेष धनराशि सरकार को तुरत लौटा दी जायेगी।
- (v) स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व ही सदस्य को नियमावली के परिशिष्ट (क) में विहित प्रपत्र में एक अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत अग्रिम के आहरण के एक महीने के भीतर सबधित सदस्य मोटरगाड़ी कर्य करके नियमावली की परिशिष्ट (ख) में विहित प्रपत्र में बधक-पत्र प्रस्तुत करें। जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त कर्य किये गये वाहन का विहार राज्यपाल के नाम बंधक रखा जायेगा। अनुबंध-पत्र और बधक-पत्र उक्ता तथा अभिलेख हेतु सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (vi) मोटरगाड़ी अग्रिम पर 5 प्रतिशत (पाच प्रतिशत), साधारण वार्षिक व्याज देय होगा।
- (vii) मोटरगाड़ी अग्रिम की वसूली 60 (साढ़े) समान मासिक किश्तों में और यदि किसी बंधित सदस्य की विधान मण्डल की सदस्यता की अवधि 5 वर्षों से कम हो, तो ऐसे सदस्य की सदस्यता की अग्रामी अवधि के भीतर सात से कम समान मासिक किश्तों में की जाएगी।
- (viii) इस नियमावली को उधार लेस्वीकृत अग्रिम तथा इस पर देय व्याज की वसूली सदस्यों को उनके बहतन कर्य-भरता-योग्य-भरता-योग्य किसी अन्य भरता-योग्य विलोप संविधान सभा/विधान परिषद् के सचिव द्वारा अपेक्षित धनराशि की कटौती की जायेगी।
- (ix) यदि जटी विधान मण्डल का सदस्यान हो जाय, तो मोटरगाड़ी अग्रिम की राशि व्याज सहित उनकी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के बाद भी उनको देय पेशन से वसूली की जायेगी।
- (x) अग्रिम की वसूली मोटरगाड़ी कर्य हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के तुरत बाद वाले माह से प्रारम्भ होगी।
- (xi) सदस्य के अग्रिम की व्याज सहित अवशेष सम्पूर्ण धनराशि नियत अवधि से पहले एकमुश्त जमा करने की छूट होगी।
- (xii) यदि अग्रिम प्राप्त करने वाला सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाय तो भगतेय व्याज की दर उसकी वसूली हेतु निर्धारित किश्तों की सख्त एवं अन्य शर्तें वही रहेंगी, जो इस नियमावली के अधीन विहित की गयी है।
- (xiii) अग्रिम एवं व्याज की वसूली का लेखा, यथारिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा रखा जायेगा। पेशन से वसूली

की स्थिति में संबंधित जिले के कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह इस आशय का एक प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को प्रेषित किया जायेगा कि संबंधित व्यक्ति से संबंधित माह में अग्रिम/सूद की किशत की वसूली कर ली गयी है और सुसंगत प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कर दिया गया है।

(xiv). यदि अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली के पहले ही सदस्य की मृत्यु हो जाये या वह किसी भी कारण से विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और वह पेशन का हकदार न हो, या उसे किसी भी कारण से पेशन नहीं प्राप्त हो या पेशन बंद हो जाय और किसी अन्य कारण से वह अग्रिम/ब्याज की किशतों का नियमित भुगतान नहीं करता। अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की अवशेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा वसूलीय होती और राज्य सरकार अवशेष राशि को सदस्य या उसके विधिक उत्तराधिकारियों से किसी भी तरह अथवा लोक मात्र वसूली अधिनियम के अधीन लोक मात्र वसूली के रूप में वसूली कर सकती।

(xv). 1— यदि जिस वाहन का क्रय सरकार से प्राप्त अग्रिम की सहायता से किया गया हो परन्तु अग्रिम की राशि अभी वसूलीय हो, वैसी स्थिति में गाड़ी को उधार लेने वाला सदस्य राज्य सरकार की पूर्णुमति प्राप्त कर बेच सकता है।

2— राज्य सरकार वैसे दृष्टांतों में जिसमें अग्रिम की पूर्ण वसूली के पर्व हो नये वाहन का क्रय हता पर्व से अग्रिम से लिया गया वाहन बेचा जाता है एसी विक्री से प्राप्त राशि का उपयोग निम्नांकित शर्तों के अधीन नये वाहन का क्रय हता करने की स्वीकृति दे सकते हैं :—

(क) अब बकाया अग्रिम की राशि क्रय किये जानेवाले वाहन की कीमत से अज्यादा नालों छठलगाम होगा।

(ख) बकाया अग्रिम की राशि पर्व से निर्धारित किशतों एवं ब्याज की दरपर वसूली की जायगी।

(ग) नये क्रय किये जानेवाले वाहन को बीमा कराकर राज्यपाल के ताम बधक रखना होगा।

6. अन्त रेस्टेशनरी भरा।— विहारी विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भारत चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि से संसदीय कार्यों के सम्पादन के क्रम में पोस्टल रेस्टेशनरी और कार्यालय व्यवहन करने के लिए 6000/- (छ: हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से रेस्टेशनरी भरा भुगतेय होगा।

7. निजी सहायक की सुविधा।— प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से संसदीय कार्यों में सहायता के लिए निनलिखित शर्तों के अधीन निजी सहायक/सहायकों को रख सकेंगे; जिसके लिए उन्हें मात्र 20000/- (बीस हजार) रुपये प्रतिमाह देय होगा।

परन्तु यह कि एक से अधिक निजी सहायक रखने पर भी अधिकतम 20000/- (बीस हजार) रुपये प्रतिमाह ही देय होगा और यह राशि सीधे निजी सहायक/सहायकों को ही भुगताय होगा।

- (1). निजी सहायक/सहायकों को रखने के बाद उन्हें, यथास्थिति, सचिव, विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय को विहित प्रपत्र में देनी होगी। विहित प्रपत्र बिहार विधान सभा सचिवालय/बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा विहित किया जायेगा।
- (2). निजी सहायक/सहायकों को प्रतिमाह रुपये 20000/- (बीस हजार) रुपये की राशि, इसके लिए विपत्र प्रस्तुत करने पर दी जायेगी। यह राशि सदस्यों के वेतन एवं भत्ता का भाग नहीं होगा।
- (3). सहायक को हटाकर दूसरे व्यक्ति का सहायक रखने का अधिकार सदस्य को होगा एवं उन्हें इसकी जानकारी, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को पुनः विहित प्रपत्र में देनी होगी।
- (4). निजी सहायक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, बिहार सरकार अथवा बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मचारी होने का दावा नहीं करेगा तथा बिहार सरकार अथवा बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् में नियुक्त होने हाँ उसका कोई दावा ग्रहणीय नहीं होगा।

8. यात्रा भत्ता।—

- (क) प्रत्येक सदस्य आम चुनाव, मध्यावधि-चुनाव उप-चुनाव अथवा मनोनयन की दशा में यथास्थिति विधान मण्डल का सायकान अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् के अन्य अधिवेशनों में पहली बार उपस्थित होने के निमित्त रेल यात्रा को दशा में प्रथम श्रेणी/ए०सी० टू-टीयर के किराये के ड्योड़ा भाड़ा तथा निजी डिक्कार से यात्रा की दशा में प्रति किलोमीटर 20/- (बीस) रुपये भील भत्ता पाने का हकदार होगा।

- (ख) प्रत्येक सदस्य यथास्थिति, विधान मण्डल का संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा या विधान परिषद् का अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् की समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में भाग लेने के निमित्त अपने निवास स्थान से उस स्थान तक, जहां संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् का अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् की समिति की बैठक या अन्य कार्य किया जानेवाला हो, उनके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा और ऐसे स्थान से अपने निवास स्थान की वापसी यात्रा के लिए केवल निम्नलिखित प्राप्ति करने का हकदार होगा—

- (i) — रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/ए०सी० टू-टीयर के किराये की आधी रकम की दर से आनुषांगिक खर्च;
- (ii) राज्य पथ परिवहन सेवा की बसों द्वारा की गयी हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़ा के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक खर्च;

- (iii) प्राइवेट बस द्वारा की गयी यात्रा के लिए बस भाड़े की दूगुनी राशि का भुगतान।
- (iv) निजी कार से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए 20/- (बीस) रुपये प्रति किलोमीटर की दर से 'मील-भत्ता' देय होगा।
- (v) जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वास्तविक खर्च:

परन्तु जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता है तथा नदी के पार जाना हो तो वह मील भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल-परिवहन खर्च पा सकता है:

परन्तु सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए मील भत्ता, प्रत्येक सत्र के आरम्भ में सदन की बैठक में भाग लेने के लिए और सत्रावसान के बाद अपने निवास स्थान वापसी के लिए, सिर्फ एक बार भुगतेय होगा।

परन्तु और कि इस रकम का भुगतान उसी अवस्था में किया जायगा जब सदस्य को पास निजी मोटर कार हो तथा वे इस आशय का प्रमाणपत्र दें कि उन्होंने वास्तव में उक्त यात्रा अपनी मोटर कार से की है।

परन्तु और भी कि यदि कोई सदस्य विधान सभा / विधान परिषद की समिति की बैठक में भाग लेना के प्रयोजनार्थ निजी कार से यात्रा करे तो वह 20/- (बीस) रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता पाने का इकदार होगा किन्तु यह समिति की बैठक की समाप्ति के तत्काल बाद की गयी यात्रा अवधि के लिए ही अनुमान्य होगा। और एक माह में ऐसी सिर्फ दो यात्राएं ही अनुमान्य होंगी। मील भत्ता उसी सदस्य को भुगतेय होगा जो इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है। ऐसे सदस्य को जिनके पास निजी गाड़ी नहीं है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ एक माह में सात दो बार रेल की यात्राओं के लिए प्रथम श्रेणी / एसी० टू-टीयर का दर्योढ़ा रेल भाड़ा भुगतेय होगा।

परन्तु और आगे कि राज्य के बाहर, रेल मार्ग से जुड़े स्थानों से भिन्न किसी अन्य स्थान के लिए की गई यात्रा हेतु प्रति किलोमीटर 20/- (बीस) रुपये की दर से प्रतिदिन अधिकतम 200 किलोमीटर की सीमा तक मील भत्ता भुगतेय होगा।

परन्तु यह और आगे भी कि वैसे सदस्य को यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा जो साधारणतः उस स्थान से पाव किलोमीटर के भीतर रहते हों जहाँ संयुक्त अधिवेशन अथवा विधान सभा / विधान परिषद का अधिवेशन या विधान सभा / विधान परिषद की समिति की बैठक हुई हो या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य किया गया हो।

- (ग) नियमावली के अधीन जिस यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या सड़क द्वारा अथवा अशतः सड़क और अशतः रेल द्वारा तय की जा सकती हो उसके लिए यात्रा-भत्ता (सबसे सस्ते और) निकटतम मार्ग के यात्रा-भत्ता तक सीमित रहेगा जाहे वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो।
- (घ) यदि अधिवेशन लगातार अवधि 21 दिनों से अधिक हो, और किसी सदस्य ने 15 दिनों तक अधिवेशन में भाग लिया हो तो वह सरकारी खर्च पर एक बार घर लौटने के लिए अधिवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान पर जाने और अपने निवास स्थान से अधिवेशन के स्थल तक वापस आने के लिए निम्नलिखित दर से यात्रा-भत्ता पाने का हकदार होगा, वशतँ कि उक्त यात्राएँ प्रस्तुत की गई हों और सदस्य द्वारा उसी अधिवेशन में पुनः भाग लिया गया हो।—
- (i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/एसी० टू-टीयर के किराये की आधी रकम आनुषांगिक चार;
 - (ii) राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से की गई हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस-भाड़ के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक चार;
 - (iii) प्राइवेट बस द्वारा की गई यात्रा के लिए बस-भाड़ की दुगुनी राशि का भुगतान और
 - (iv) निजी कार से की गयी यात्रा की दशा में 20/- (बीस) रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भील भत्ता;
 - (v) जल मार्ग से की गयी यात्रा की दशा में वार्तविक खर्च परन्तु यह भी किंजबु सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता हो तथा नदी के पार जाना होता वह भील भत्ता के अतिरिक्त वार्तविक जल परिवहन खर्च पा सकेगा।
- परन्तु सदस्य को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी पर उनके द्वारा यात्रा की गई है।
- स्पष्टीकरण—** ‘अविक्षिन्न अधिवेशनगाला’ वह मानी जायेगी जिसमें किन्हीं दो अधिवेशनों के बीच शनिवार और रविवार सहित नौ या उससे कम दिनों का अन्तराल पड़े जिसमें कोई अधिवेशन न हुआ है।
- (ङ) यात्रा-भत्ता, यात्रा पूरी करने के बाद, भुगताय होगा और इसके लिए सदस्य विहित प्रपत्र में दावा करेंगे जो सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सचिव ऐसे—विपत्रों—पर—इस—वात—का—अपना—पूरा—समाधान—कर—लेंगे—के—बाद प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे कि सदस्य ने रेल या सड़क यात्रा में निकटतम मार्ग से लोक—हित में और सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अधिवेशन में या किसी कार्य में भाग लेने के लिए यात्रा की है। सचिव का

यह दायित्व होगा कि सदस्य द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों के संबंध में अपना समाधान कर ले।

9.

दैनिक भत्ता।

- (1) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सदस्य हर निवास दिन या उसके किसी अंश के लिए पटना में प्रतिदिन 2000/- (दो हजार) रुपये की दर से एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के अन्दर अधिकतम बीस दिनों की यात्रा के लिए प्रतिदिन 2000/- (दो हजार) रुपये तथा राज्य के बाहर अधिकतम 15 दिनों की यात्रा के लिए प्रतिदिन 2500/- (दो हजार पाँच सौ) रुपये दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

परन्तु बैठक में भाग लेने हेतु की गयी यात्रा की अवधि एवं बैठक में भाग लेने के पश्चात वापस लौटकर आने के लिए की गयी यात्रा की अवधि निवास दिन के रूप में जोड़ी जायेगी।

परन्तु और कि सदस्य को पूरे माह के लिए अनुमान्य दैनिक भत्ता उस अवस्था में भी दिय होगा जब सदस्य अनुमान्य हवाई यात्रा/रेल यात्रा/सड़क यात्रा की हो।

(क) विधानसभा/विधान परिषद के अधिवेशन में या संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ।

स्पष्टीकरण — इस निवास दिन में विधान सभा या विधान परिषद का अधिवेशन या संयुक्त अधिवेशन या समितियों की बैठकों के प्रारंभ होने वाली तथा समाप्त होने वाली अधिक से अधिक एक दिन के निवास की अवधि भी शामिल है।

परन्तु इसके लिए सदस्यों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन दिनों उस स्थान पर उपस्थित थे जहां ऐसे अधिवेशन हुए हों।

परन्तु और कि यदि इस-नियम के अपेक्ष (क) के प्रयोजनार्थ एक ही अधिवेशन या समितियों की बैठक में नौ या उससे कम दिन का अन्तराल पड़ जाय जिसके द्वारा कोई अधिवेशन या समितियों की बैठक न हो, तो सदस्य ऐसे अधिवेशन या समितियों की बैठक के लिए विहित दरम से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होंगे, वर्तमान के उपर्युक्त अन्तराल के पहले के अंतिम दिन तक अधिवेशन या समितियों की बैठक में भाग लिया हो।

स्पष्टीकरण — (i) किसी तिथि की बैठक की समाप्ति पर समारूप या यदि कोई सदस्य आये किन्तु सदन की बैठक में भाग नहीं ले सके, तो उसका उस दिन सभा-स्थल पर ठहरना सदन की बैठक में भाग लेने के लिए आवास नहीं माना जाएग जबतक कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सचापति, द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाय।

(ii) "अविच्छिन्न अधिवेशनमाला" या समितियों की बैठक का अविच्छिन्न श्रृंखला वह मानी जायेगी जिसके किन्हीं दो अधिवेशनों या समितियों की बैठक के बीच शनिवार और सोमवार सहित नौ या उससे कम दिनों का अन्तराल पड़े जिसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ हो या कोई बैठक नहीं हुई हो।

(ख) विधान मंडल की समिति की बैठक में सम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ।

राज्य के भीतर स्थल अध्ययन यात्रा के लिए समिति के सदस्यों को सरकार के संबंधित विभाग के द्वारा गाड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों में संबंधित अन्य कार्यों में भाग लेने के प्रयोजनार्थ।

(2) यदि कोई सदस्य इस नियम 9 के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अधिवेशन या समितियों की बैठक के स्थान पर बीमार पड़े जाय और अधिवेशन या समितियों की बैठक में भाग लेने में असमर्थ हो जाय तो, वह बीमारी का अवधि के लिए जो एक वित्तीय वर्ष में (अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक) 21 दिनों से अधिक होता है, दोनों मत्ता पात्रों का हकदार होगा पश्चात उनके समाधान के अनुरूप अपनी बीमारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे।

परन्तु यदि कोई सदस्य इस नियम 9 खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अस्पताल में अन्तर्भुक्त रातों के रूप में पूरी अवधि के लिए, यथारिति विधान सभा या विधान परिषद के पौर्णसीन पदाधिकारी के समक्ष संतोषप्रद चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, दोनों मत्ता पात्रों का हकदार होगा।

10. रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। — प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकतम द्वारा सहयोगी के साथ भारत के भीतर किसी स्थान पर स्थानों की यात्रा के लिए रेल/विमान यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹2,00,000/- (दो लाख) तक का राशि अनुमान्य होगा।

स्पष्टीकरण: वर्ष से अग्रिमत है वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि होगी।

11. सदस्यों को आवास की सुविधा। — (1) प्रत्येक सदस्य को, भारत के निवाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से, या उसके कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, पट्टना में ऐसी रियायती दर एवं अन्य शर्तों के अधीन मकान किराये का मुग्धान करने पर, "आवास" उपलब्ध किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार का भवन निर्माण एवं आवास विभाग, यथारिति, विहार विधान सभा के अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद के सभापति की सहमति से समय-समय पर, यथारिति, नियमों द्वारा अवधारित एवं विहित करे।

(2) – विहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को आवास उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में ₹22,250=00/- (बाइस हजार दो सौ पचास रुपये) प्रतिमाह की दर से मकान किराया—भत्ता एवं विद्युत जल आपूर्ति, सैनेटरी तथा सफाई आदि सुविधाओं के लिए ₹6000=00/- (छह हजार रुपये) प्रतिमाह अनुमान्य होगा। मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त विद्युत जल आपूर्ति, सैनेटरी एवं सफाई आदि सुविधाओं के लिए प्रतिमाह भुगतान की दशा में नियम 15 के अधीन विद्युत एवं जल विपत्र भुगतान हेतु कोई राशि देय नहीं होगी।

12. चिकित्सा की सुविधा। –

(1) विहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से या उनके कार्यकाल का आरम्भ होने की तिथि से राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के समान चिकित्सा सुविधाएँ अनुमान्य होगी।

(2) विहार विधान मण्डल के ऐसे सदस्यों की गंभीर बीमारियों यथा— गुर्दा रोग, हृदय रोग, कैंसर, लकवा, रेटिना डोटेचमेट, गुर्दा प्रत्यारोपन तथा एड्स या बड़ी उर्ध्घटना की स्थिति में चिकित्सा पर होनेवाले व्यय का वहन राज्य सरकार करगी।

परन्तु बीमारी की चिकित्सा की अनुशासा अनिवार्य होगी और सदस्य के अनुरोध पर विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सा पर होनेवाले अनुमानित व्यय का 75 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अग्रिमताके रूप में दी जायेगी, शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान चिकित्सा पर हुये व्यय का व्योरा समर्पित करने पर किया जायेगा। तथा सदस्य को एक सिफारिषक सहयोगी का यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

(3) विधान मण्डल के किसी सदस्य एवं उनके परिवार के किसी सदस्य के वाह्य चिकित्सा (आ०पी०डी०) एवं अन्वारिसी चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार का स्वारक्षण एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवधारित नियमावली की शर्तों के अधीन की जायेगी।

13. विदेश यात्रा की सुविधायें। – सदस्य लोक कार्य से विदेश जाते हैं, तो उन्हें सासंद सदस्य के समतुल्य विमान भाड़ा, दैनिक भत्ता आदि की सुविधायें अनुमान्य होंगी।

परन्तु सदस्य राज्य सरकार की अनुमति लेकर ही विदेश यात्रा पर जा सकेंगे।

14. सदस्यों को टेलीफोन की सुविधा। – प्रत्येक सदस्य को भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की तिथि या उनके कार्यकाल की तिथि से, उनके पटना स्थित आवास पर एवं निर्वाचन क्षेत्र या निवास पर एक-एक टेलीफोन की सुविधा अनुगान्य होगी। यह दूरभाष, यथारिथ्ति, विहार विधान सभा/विधान परिषद के नाम से लगाया जायेगा तथा इसे पटना स्थित आवास के टेलीफोन के द्वय मासिक विपत्र

एवं सेवा शुल्क का भुगतान, यथास्थिति विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

- (क) निर्वाचन क्षेत्र या निवास स्थान पर सदस्य द्वारा स्थापित टेलीफोन के विपत्र का भुगतान सदस्य स्वयं करेंगे। टेलीफोन विपत्र भुगतान सबधीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा टेलीफोन के स्थानीय कॉल शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति, यथा विहित स्थानीय कॉल सीमा के अधीन रहते हुए, सदस्य को की जायेगी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र/सामान्य निवास स्थान पर अधिष्ठापित टेलीफोन का मासिक/द्वैमासिक रेन्टल राशि की भी प्रतिपूर्ति की जायेगी किन्तु अधिष्ठापन शुल्क एवं सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
- (ख)(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक सदस्य का उनके पटना आवास एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र आवास पर अधिष्ठापित दोनों टेलीफोनों को गिलाकर अधिकतम निःशुल्क कॉलों की सीमा 1,00,000 (एक लाख) स्थानीय कॉल तक नियत होगी।

परन्तु किसी वित्तीय वर्ष में यदि नियत कॉल सीमा से कम कॉलों का उपयोग किया जाता है तो शेष कॉल अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत करने के समायोजित किया जायेगा, एवं अगले वित्तीय वर्ष की कॉल सीमा तदनुसार संशोधित हो जायेगी।

परन्तु और कि सदस्य उसी वित्तीय वर्ष की अनुमान्य स्थानीय कॉल सीमा के मूल्य के अधीन रहते हुए मोबाइल एवं 'इटरनेट' की सुविधा प्राप्त करने के लकड़ास हों।

- (ii) किसी वित्तीय वर्ष में सदस्य के पटना आवास एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र आवास एवं अधिष्ठापित दोनों टेलीफोनों को गिलाकर नियत स्थानीय कॉल सीमा की राशि से अधिक राशि का भुगतान नहीं आवश्यक हो, यथास्थिति बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् द्वारा मात्र पटना स्थित आवास पर विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा स्थापित टेलीफोन के गामल में की जानकारी किन्तु इस राशि की कठोरी सबधित सदस्य के वेतन एवं भत्ते से की जायेगी।
- (ग) सदस्यों का अनुमान्य दूरभाष की सुविधायें उनकी सदस्यता समाप्त होने पर स्वतः समाप्त नहीं जायेगी।

15. सदस्यों को विद्युत एवं जल विपत्र का भुगतान की सुविधा। — प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 2000 रुप्ती तक के विद्युत विपत्र का भुगतान, यथास्थिति, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् सचिवालय के द्वारा मात्र पटना निवासी के लिये किया जायेगा। उक्त सीमा से अधिक विद्युत की खपत होने पर उसका भुगतान सदस्यों को स्वयं करना होगा किन्तु जलापूर्ति के लिए कोई कर उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

16. उपस्कर की सुविधा। — प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद, विधान मंडल के सदस्य को स्थान ग्रहण करने के बाद रु 50000/- (पचास हजार) उपस्कर के

दीलिए यथारिथति विधान सभा /विधान परिषद् सचिवालय द्वारा भुगतेय होगा। यह सुविधा उन्हे पूर कार्यकाल में एक बार ही अनुमान्य होगी।

पूर्व सदस्यों का पेशन एवं अन्य सुविधाएं। —

- (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो विहार विधान सभा /विधान परिषद् का सदस्य निर्वाचित /मनोनीत हुआ हो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने या विहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाने की तिथि से या उनका कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये प्रतिमाह आजीवन पेशन पाने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वर्ष की समाप्ति होने पर 2000/- (दो हजार) रुपये की दर से अतिरिक्त पेशन पाने का हकदार होगा।

परन्तु छह माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम अवधि की गणना पूरे वर्ष का रूप में की जायेगी।

परन्तु यह भी कि तेरहवीं विहार विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों का भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि / उक्त विधान सभा का कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व सदस्यों की प्रतिमाह पेशन /पारिवारिक पेशन आदि की सुविधाएं अनुमान्य होगी।

परन्तु और भी कि विहार विधान सभा के वेसे सदस्य, जो दोनों प्रमुख सदनों के सदस्य रह चुके हों अतिरिक्त वार्षिक जिस सदन के सदस्य रहें हों, विहार से उन्हें दोनों सदनों की सदस्यता अवधि की गणना करके पेशन देय होगा।

- (2) जहाँ उप नियम (1) के अधीन पेशन का हकदार कोई व्यक्ति :—

- राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य सत्राके प्रशासक के पद पर नियुक्त हो जायेत्या।
- संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् का सदस्य हो जाय; या
- केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत या नियत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित हो जाय अथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार के किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हो जाय।

वहाँ ऐसा व्यक्ति उस अवधि के लिए उप नियम (1) के अधीन किसी पेशन का हकदार जहाँ होगा जिस अवधि के दौरान वह वैसा पद धारण करता रहा हो या वैसे सदस्य के रूप में बना रहा हो या इस प्रकार नियोजित रहा हो या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहा हो।

परन्तु जहाँ ऐसा पद धारण करने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने पर ऐसे व्यक्ति को देय वेतन या जहाँ ऐसे व्यक्ति को खण्ड (iii) निर्दिष्ट देय पारिश्रमिक उप नियम (1) के अधीन उसे देय पेशन से कम हो वहाँ ऐसा व्यक्ति इस नियमाली के अधीन पेशन के रूप में सिर्फ़ शेष रकम ही प्राप्त करने का हकदार होगा।

(iv) सदन के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गठित किसी निकाय, संस्था या संघ में यदि राज्य विधान-मण्डल के पूर्व सदस्य पदाधिकारी/सदस्य के रूप में मनोनीत/नियुक्त किए जाएं तो उन्हें पूर्व सदस्य के रूप में देय पेशन रेलवे कपन एवं विकित्सा सुविधा के अतिरिक्त निकाय, संस्था या संघ के दायित्वों के निर्वहन के लिए उसी दर पर दिनिक भत्ता/यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएं अनुमत्य होगी, जो राज्य विधान-मण्डल के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएँ।

परन्तु वसे निकाय, संस्था, या संघ के कार्यक्रमों पर व्यय होने वाली राशि का उपबंध राज्य विधान-मण्डल की व्यय विवरणों में उसी रूप में सम्मिलित किया जाएगा, जिस रूप में राज्य विधान-मण्डल सचिवालय के व्यय का उपबंध से किया जायेगा।

(3) पारिवारिक पेशन की सुविधा। - ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उप नियम (1) के अधीन पेशन पाने का हकदार हो, को पृथ्वी के पश्चात उसकी पत्नी/पति को आजीवन पारिवारिक पेशन नीचे अंकित दर पर दिया जायेगा।

"पेशन की राशि का 75 प्रतिशत पारिवारिक पेशन भुगतेय होगा"।

परन्तु उप नियम (1) का उपबंध एवं शर्त मूल व्यक्ति की पत्नी/पति पर भी लागू होगे।

परन्तु और कि यदि पारिवारिक पेशन पाने वाला व्यक्ति अगर शादी कर ले तो ऐसी दशा में पारिवारिक पेशन पाने का अधिकारी नहीं रह जायेगा।

(4) ✓ रेलवे कूपन की सुविधा। - विहार विधान मण्डल के पूर्व सदस्य को अधिकतम तीन सहयोगी के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेल/विमान यात्रा प्रति हरु एक वित्तीय वर्ष में ₹1,00,000/- (एक लाख) तक की राशि अनुमत्य होगी।

परन्तु वैसे पूर्व सदस्य भी, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हैं, रेल/विमान यात्रा के हकदार होगे।

परन्तु और कि, वे रेल/विमान से नकी गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा-भत्ता/दिनिक-भत्ता प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ-पत्र, यथास्थिति, सचिव, विधान

सभा/सचिव, विधान परिषद् को एवं अपने नियोजन के प्राधिकार को देना होगा।

- (5) **चिकित्सा सुविधा।** – उप नियम (1) के अधीन पेशन पानेवाले भूतपूर्व विधायक को आजीवन निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या, दवा की आपूर्ति तथा अस्पताल में भर्ती होने की सुविधायें उस प्रैग्नाने एवं शर्त प्रदान की जायेगी, जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर नियमों द्वारा विहित की जाय।
18. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय-समय पर उसमें संशोधन का अधिकार होगा।
19. **निरसन एवं व्यावृत्ति।** –
- इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायेगी।
 - बिहार विधान मण्डल (सदस्यों के बेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1961.
 - बिहार विधान मण्डल (सदस्यों की दूरभाष सुविधायें) नियमावली, 1976.
 - बिहार विधान मण्डल (सदस्यों के सहयोगी (रेलवे कूपन एवं रोड पास) नियमावली, 1978.
 - बिहार सासदायो नियम (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1978.
 - बिहार सासदायो नियम (भाव रखावा जायेगा) नियमावली, 1981.
 - बिहार विधान मण्डल (सदस्यों को मोटर गाड़ी हेतु अग्रिम) नियमावली, 1993।
 - ऐसे निरसन नहीं होने भी उपर्युक्त उपनामिका (1) उल्लेखित नियमावलियों के अधीन इस नियमावली के आरम्भ के भत्ते को मिलाई किसी कार्रवाई या किये गये कुछ भी पर कोई प्रतिकूल प्रमाण नहीं पड़ेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011

1. सक्रिय नाम, विस्तार और आरंभ। — (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 कहा जा सकती है।
 (2) इसका विस्तार बिहार विधान मंडल के सदस्यों तक होगा।
 (3) यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ। — जब तक सदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में —
 (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भज्ञा एवं पेशन) अधिनियम, 2006;
 (ख) “समा सचिवालय” से अभिप्रेत है बिहार विधान समा सचिवालय;
 (ग) “परिषद सचिवालय” से अभिप्रेत है बिहार विधान परिषद सचिवालय;
 (घ) “सदस्य” से अभिप्रेत है बिहार विधान मंडल का कोई सदस्य;
 (इ) “परिशिष्ट” से अभिप्रेत है इस नियमावली का परिशिष्ट;
 (च) “प्राधिकूत व्यवहार” (डीलर) / “आपूर्तिकर्ता” से अभिप्रेत है अपने उत्पाद की विक्री के लिए कम्प्यूटर उपकरण के मूल उपकरण विनियोग द्वारा प्राधिकूत फरमाएँ;
 (छ) “कम्प्यूटर उपकरण” से अभिप्रेत है डेटा के मजारण, पुनःप्राप्ति, प्रोसेसिंग, स्कैनिंग, अतरण और मुद्रण के लिए समर्थ किसी भी नाम से जाने जानवाले समीकृतकर्ट्रिनिक गैजिट और इसमें परिशिष्ट, में विनियिट सभी उपकरण समिलित हैं;
 (ज) “प्रक्रिया” से अभिप्रेत है इस स्कीम के अधीन कम्प्यूटर उपकरणों के उपायन तथा सदस्यों को प्रतिपूर्ति/अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया;
 (झ) “स्कीम” से अभिप्रेत है कम्प्यूटर उपकरण क्रिय करने हेतु बिहार विधान मंडल के सदस्यों की वित्तीय हकदारी की स्कीम;
 (ञ) “सॉफ्टवेयर” से अभिप्रेत है कम्प्यूटर चलाने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम अथवा प्रोग्रामों का सेट और इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी शामिल है;
 (ट) इस नियमावली में प्रयुक्त हिन्दू अपरिभाषित शब्दों एवं अग्रिव्यक्तियों के वहीं अभिप्रेत होंगे, जो अधिनियम में उनके प्रति समनुदेशित किये हैं।

3. कम्प्यूटर उपकरण के लिए सदस्यों की वित्तीय हकदारी की स्कीम एवं प्रक्रिया। —
 (1) वित्तीय हकदारी स्कीम के माध्यम से सदस्यों द्वारा कम्प्यूटर उपकरण प्राप्त किया जाएगा।
 (i) बिहार विधान मंडल के सदस्य के रूप अपनी पदावधि के दौरान इस स्कीम के अधीन कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर के क्रिय के लिए सदस्य की वित्तीय हकदारी अधिकतम 1,00,000/- (एक लाख) रुपये तक होगी।
 (ii) इस नियमावली के अधीन अन्य शर्तों के होने पर भी विधान मण्डल के वैसे सदस्य, जिन्हें पूर्व में लैपटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जा चुका है, भी नई स्कीम के लिए विकल्प दे सकते हैं।

परन्तु उन्हें लैपटॉप कम्प्यूटर के हासित मूल्य के समतुल्य राशि विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय में जमा करनी होगी। अथवा उक्त राशि को नई स्कीम की राशि से कटौती करने के आशय का पत्र विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को देना होगा। लैपटॉप कम्प्यूटर के हासित मूल्य का निर्धारण बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बुलडॉग) द्वारा किया जायेगा।

(२) कोई भी सदस्य इस स्कीम के अधीन परिशिष्ट-। में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण के किसी अथवा सभी मदों की खरीद करने का हकदार होगा।

(३) कोई भी सदस्य अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर के किसी मॉडल को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा। इस शर्त के अधीन किं प्रतिपूर्ति/भुगतान की कुल रकम इस नियम के उप नियम १ के खण्ड (i) के अधीन हकदारी से अनधिक हो, परिशिष्ट-। में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण की एक से अधिक इकाइयों की खरीद के लिए भी वह समान रूप से स्वतंत्र होगा।

परन्तु सदस्य द्वारा खरीदे गए उपकरण की लागत, उसकी वित्तीय हकदारी से अधिक होना की दशा में, उसकी अंतर राशि का वहन सदस्य द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(४) सदस्य परिशिष्ट-॥ में विनिर्दिष्ट ब्रांडों के कम्प्यूटर प्राधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करया।

(५) किसी भी सदस्य को किसी ब्रांड का प्रिंटर, स्कैनर और यू०पी०एस० खरीदने की स्वतंत्रता होगी।

(६) किसी सदस्य की वित्तीय हकदारी कम्प्यूटर उपकरण की खरीद की तारीख को नियत राशि होगी। जहाँ कोई सदस्य उपकरण का क्रय अशांत करता हो, वहाँ वह पहली बार कम्प्यूटर उपकरण के उपापन के समय नियत राशि की हद तक प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। उसकी एकार्यात्मक प्रथम उपापन के पश्चात् राशि में वृद्धि/हास से प्रभावित नहीं होगी।

(७) इस स्कीम के अधीन सदस्य द्वारा खरीदा गया कम्प्यूटर उपकरण उसके पास ही रहेगा। किंतु यदि वह सदस्य ना रह जाता है तो विधान आयकर नियमावली के अनुसार उसे कम्प्यूटर उपकरण का हासित मूल्य जमा करना होगा।

4. अग्रिम भुगतान। — कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु अग्रिम का भुगतान विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा प्राधिकृत व्यवसायियों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्गत कच्चा बीजक (प्रोफेसरी-इन्वायर्स) के विरुद्ध किया जायेगा।

5. लेखा संधारण एवं अंकेक्षण। — लेखा संधारण एवं अंकेक्षण के प्रयोजनाथ सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा कच्चा बीजक पर भुगतान किये जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित खरीद का मूल प्रमाण उपलब्ध करायेगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्गत विल (विपत्र)/कैश मेमो खरीद का स्वीकार्य संबूत होगा, बशर्ते उसमें निन्निखित अन्तर्विष्ट हो।/दर्शाया गया हो।—

- (i) बैचे गए हरेक उपकरण की क्रम संख्या;
- (ii) यह तथ्य कि माल दे दिया गया है;
- (iii) यह तथ्य कि पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

6. कम्प्यूटर उपकरण का रख-रखाव और बीमा। — यह निर्णय सदस्य को ही करना होगा कि वह स्कीम के अधीन खरीदे गए कम्प्यूटर उपकरण का बीमा कैरिबा चाहते हैं या नहीं। कम्प्यूटर उपकरण का रख-रखाव एवं बीमा की व्यवस्था सदस्य द्वारा स्वयं किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

परिशिष्ट-।

कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर के मद्देनज़र

1. डेस्क टॉप कम्प्यूटर
2. लैप टॉप कम्प्यूटर/नेट बुक कम्प्यूटर/टैबलेट इत्यादि
3. पेन ड्राइव
4. सीडी०/डी०वी०डी०
5. प्रिन्टर (डेस्क जेट/लेजर जेट/वहु कार्यात्मक/पोर्टेबल)
6. स्कैनर
7. यू०पी०एस० (मात्र डेस्कटॉप के साथ)
8. हाथ से पकड़ा जानेवाला (हैडलेट) कम्प्यूनिकेटर/पॉमटॉप कम्प्यूटर
9. डेटा इंटरनेट कार्ड
10. एम०एस० ऑफिस सूइट
11. वाइरस रोधी सॉफ्टवेयर
12. भाषा सॉफ्टवेयर और आवाज की पहचान करनेवाला सॉफ्टवेयर
13. अन्य कम्प्यूटर सहायक उपकरण।

परिशिष्ट-॥

डेस्क टॉप/लैप टॉप कम्प्यूटर उपकरण के ब्रांडों की सूची

1. एसर	Acer
2. डेल	Dell
3. एच०सी०एल	HCL
4. एच०पी०	HP
5. लेनोवो	Lenovo
6. पी सी एस	PCS
7. विप्रो	Wipro
8. एप्पल	Apple
9. सोनी	Sony
10. सैमसंग	Samsung

अधीक्षक, संशिकालय मुद्रणालय,
विहार, पटना द्वारा प्रसिद्ध
2015